7/5/18

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी
उपस्थित। वकील वादी साहब पैरवी करना
नहीं चाहते। स्वयं वादी बैठकी आती है।
बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया
गया। मुकदमा वादी खारिज किया जाता है,
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया व हस्ता०
किया गया। पत्रावली फैसल मुकदमा होकर
दाखिल दफ्तर हो चुका।

S Bal

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/91/15

बउनवान

1. शीला पुत्री कंचन पत्नी रतन जाति मीना
निवासी ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर

––– वादिया

बनाम

1. रामसिंह पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी रोनीजाथान
2. रामवती पत्नी रामसिह जाति मीना निवासी रोनीजाथान
तहसील कठूमर

––– प्रतिवादीगण

3. छोटा वेवा कंचन जाति मीना
4. नत्थी पुत्र कंचन जाति मीना
5. गुड्डी वेवा कंचन जाति मीना
6. रेखा पुत्री कंचन जाति मीना नाबा0
7. आराम पुत्र कंचन जाति मीना नाबा0
8. सनम पुत्री कंचन जाति मीना नाबा0
नाबालिगान जरिये सपरस्त माता गुडडी जाति मीना
निवासीयान ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर
9. कैलाश पुत्र गुटठल जाति मीना निवासी रोनीजाथान

–– तर. प्रतिवादीगण

दावा दखलयावी व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री संजय अवस्थी ':– अधिवक्ता वादिया

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 07.05.2018

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1413 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादिया वो तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला08 के 5/13 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका मौके पर उत्तर दक्षिण डौल डालकर तकसीम किया हुआ है। जिसका तर्फ पश्चिमी हिस्सा रकवा 5 विस्वा वादिया वो तर0 सं0 3 ला0 8 के कब्जे में है। तर्फ पूर्वी हिस्सा तर0प्रति0सं09 के हिस्से में है। प्रतिवादीगण ने वादिया के रकवा 5 विस्वा तर्फ पश्चिम पर जवरन व ताकत क`वल पर धूडा व पूडे डालकर नाजायज कब्जा कर लिया है। जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर अतिक्रमी है। प्रतिवादीगण को वादिया व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ला08 के हिस्सा की आराजी पर अतिक्रमण बनाये रखने का अधिकार नहीं है। वादिया ने प्रतिवादीगण को वेदखल कर दखल दिलाने व उक्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण न करने के लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने व दावा वादिया मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2 मय अधिवक्ता हाजिर आये तथा अपना जवाव दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3,4 दिनांक 23.08.2004 को बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादिया को प्रतिवादी सं0 5 ला09 का तलवाना पेश करने हेतु कई मौके दिये जाने पर भी तलवाना पेश नहीं किया। दिनांक 19.02.2018 को तलवी बन्द की गई। दिनांक 13.03.2018 के प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं जिनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादिया ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 वाके रोनीजाथान की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

वहस एकपक्षिय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादिया ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन

Scanned by CamScanner

किया कि विवादित आराजी का वादिया एंव तरतीवी प्रतिवादी सं09 ने घरू वंटवारा कर रखा है। वादिया व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ला08 को तर्फ पश्चिम रकवा 5 विस्वा व तर0प्रति0सं09 को तर्फ पश्चिम वाला हिस्सा घरू वंटवारे में आया है। प्रतिवादीगण ने वादिया व तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से पर धूडा व पूडे डालकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रतिवादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काविज है। अतः प्रतिवादीगण को वादिया के हिस्से से वेदखल कर वादिया को वापिस दखल दिलाया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे व दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादिया की एक पक्षिय वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 वाके ग्राम रोनीजाथान में विवादित आराजी वादिया व तरतीवी प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है यह सही है कि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी वावत किसी तरह के अधिकार नहीं है। वादिया ने विवादित आराजी का घरू वंटवारा बताकर तर्फ पश्चिमी अपने हिस्से पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण बताया है लेकिन वादिया ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने किसके हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है यह तथ्य वादिया सावित करने में असफल रही है। अतः वादिया का दावा सावित ना होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादिया दखलयावी व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 1413 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर वावत सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

आज दिनांक 07.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

Scanned by CamScanner